(आदेश की प्रतिलिपि)

न्यायालय– प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर,छ0ग0

जमानत याचिका क.2031/2019
अपराध क्रमांक : 475/2019
थाना–सिविल लाईन,रायपुर

श्रीमती रंजीत कौर, आयु 60वर्ष,
पति–मनजीत सिंग,
निवासी–जय भोले कॉम्पलेक्स के बाजू,
माता गैरेज के पीछे पंडरी रायपुर।

--- **आवेदिका/अभियुक्त**

// विरूद्ध //

छ0ग0शासन,
द्वारा–थाना सिविल लाईन,
रायपुर (छ0ग0) **---** **अभियोजन**

21.08.2019

माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर के न्यायालय से यह अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ।

आवेदिका/अभियुक्त द्वारा श्री अमीन खान,अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री विजय कुमार भोई, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना सिविल लाईन, रायपुर से अपराध क्रमांक–475/2019, धारा–498ए,323,506,34 भा0दं0वि0 की केस डायरी प्राप्त।

आवेदिका/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु श्री अमीन खान अधिवक्ता ने धारा–438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र होने और अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई आवेदन–पत्र लंबित या निराकृत नहीं होने का कथन किया है, आवेदन के समर्थन में आवेदिका की ओर से स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, आवेदन–पत्र एवं शपथ–पत्र पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होता, इसलिये यह आवेदिका/अभियुक्त का धारा–438 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र होना दर्शित होता है।

अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र पर उभय पक्षों के तर्क सुने गये।

आवेदिका/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन के तर्क में एवं अग्रिम जमानत आवेदन में यह निवेदन किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्त को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि उसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन रायपुर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक–475/2019 धारा 498ए,323,506,34 भा0दं0वि0 के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वह

60 वर्षीय बुजुर्ग एवं बीमार महिला है, जो कि उच्च रक्तचाप,शुगर,थायराईड तथा हृदयघात की गंभीर बीमारी से पीडित है तथा उसकी बाईपास सर्जरी होकर स्टंट डाला गया है। प्रार्थिया कई वर्षो से आवेदिकागण से पृथक निवास कर रही है। आवेदिका/अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया अथवा उसके परिवार वालों से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी तथा न ही दहेज के लिए अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे प्रताडित किया है। आवेदिका/अभियुक्त का प्रकरण पारिवारिक विवाद से उद्भूत मामला है, जिसके विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदिका/अभियुक्त रायपुर जिले की स्थायी निवासी है, उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, वह न्यायालय के द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है, अतः आवेदन स्वीकार कर उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

आवेदिका/अभियुक्त की ओर से सूची अनुसार आवेदिका के इलाज से संबंधित दस्तोवज प्रस्तुत किये गये, जिन्हें प्रकरण में संलग्न किया गया।

अपर लोक अभियोजक श्री विजय भोई ने अग्रिम जमानत पत्र का विरोध करते हुये तर्क किया है कि आवेदिका/अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया से दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसलिये प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र निरस्त किया जाये।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के निराकरण के परिपेक्ष्य मे थाना सिविल लाईन, रायपुर के अपराध कमांक–475/2019, धारा–498ए,323,506,34 भा0दं0वि0 की केस डायरी अवलोकन किया गया।

केस डायरी मे संलग्न प्रार्थिया तरणदीप कौर की लिखित शिकायत के अनुसार , प्रार्थिया तरणदीप कौर का विवाह करीब 9 वर्ष पूर्व दिनॉक 16/11/2010 को पंडरी रायपुर निवासी मंनिदरजित सिंग के साथ हुआ था , तथा उसके मनिंदरजित सिंग की ओर से देा संतान पुत्री नवदीप 8 वर्ष एवं पुत्र साहेब सिंग 3 वर्ष है। शादी के समय जो भी सामान एवं गहने व कार आदि सामन उसके मायके वालो ने दिये थे , शादी के बाद से ही उसका पति , उसके मायके से पैसा एवं सामन लाने की मॉग कर उसे प्रताडित करता था तब उसने उक्त बातो केा अपने पिता को बतायी थी तो उसके पिता ने दो तीन बार उसे दो – तीन लाख रूपये नगद दिया था , जिसे उसने अपने पति मनिदरजीत सिंह को दी थी , सन 2011 मे जब वह गर्भवती थी तब डाक्टर ने उसे बेडरेस्ट की सलाह दी थी , उस दौरान उसकी सास उसके साथ मारपीट कर तंग करती थी और ताना मारते हुये बोलती थी कि अगर यहॉ रहना हे तो घर के पूरे काम करने पडेगें तुम्हार नखरा नही चलेगा ,तथा उसकी पुत्री पैदा होने पर , लडकी पैदा की है लडका पैदा नही की है कहकर ताना मारे थे , तथा उसके बाद से उसकी सास उसे मायके से दो लाख रूपये एवं गहने की मॉग करती थी , जिसे उसके पिता ने पूरा किया उसका पति शराब पीने का आदी है आये दिन शराब पीकर मारपीट करता था व शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। दिनांक 14/08/19 को उसका पति देर रात शराब पीकर आकर नीचे ही सो गया सुबह होने पर जब ऊपर आया तो प्रार्थिया अपने पति को बोली कि रोज रात को शराब पीकर घर आते हो बच्चे बडे–बडे हो

गये हैं, क्या सीखेंगे कहने पर प्रार्थिया का पति बोला कि आज तक मेरा बाप मुझे कुद नहीं बोला है, तू कौन होती है बोलने वाली कहकर बिस्तर पर लेटाकर हाथ मुक्का से गर्दन पर वार करने लगा, विरोध करने पर हाथ को पीछे मरोड दिया व लातों से पीठ व गर्दन पर मारने लगा, आंख, मुंह, नाक से खून आने लगा वह जोर–जोर से बचाव–बचाव चिल्लाने लगी तब भी उसे बचाने कोई नहीं आया। खून देखकर उसकी बेटी राते हुए नीचे गई व उसके सास ससुर को बोली तब भी उसे बचाने कोई नहीं आया। उसका पति उसे घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले गया वहां भी मारपीट किया तथा बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। डेढ दो घंटे बाद हाथ पैर जोडी और बोली की खून बहुत बह गया है किसी को कुछ नहीं बताउंगी तब उसे बाहर निकाला एवं धमकी दिया कि किसी को बताएगी तो बच्चों एवं उसको जान से मार डालेगा। वह अपने पति एवं सास की प्रताडना से तंग आ चुकी है, बच्चों के भविष्य को लेकर शांत बैठ जाती थी परन्तु उसके पति एवं सास का आये दिन प्रताडित करने से तंग आकर एवं परेशान होकर रिपोर्ट करा रही है। प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर आवेदिका/अभियुक्त एवं एक अन्य के विरूद्ध थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक–475/2019, धारा–489ए,323,506,34 भा0दं0वि0 पंजीबध्द किया जाकर प्रकरण में अन्वेषण किया जा रहा है, प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता की प्रथम दृष्टया अपराध मे संलिप्तता दर्शित होती है।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से मुख्य तर्क यह किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्त 60वर्षीय वृद्ध महिला है एवं उसे शुगर,ब्लडप्रेशर एवं थायरॉइड आदि गंभीर बीमारी से ग्रसित , यदि आवेदिका/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार कर लिया जाता है कि तो उसका सामाजिक मान–प्रतिष्ठा को आघात होगा। आवेदिका/अभियुक्ता के चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका /अभियुक्ता सन 2009 से लगातार इलाजरत है तथा मई 2019 मे उसका एम.एम.आई हास्पिटल रायपुर मे इलाज होकर आपरेशन भी हुआ है , इसलिये इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि आवेदिका जो कि 60 वर्षीय महिला है लगातार इलाजरत है । प्रार्थिया ने अपने लिखित शिकायत मे दिनॉक 16/8/19 के पूर्व की स्थिति उसके पति द्वारा शराब पीकर मारपीट करने की बतायी है । तथा उस दरम्यानी प्रार्थिया ने अपने सास ससुर को घर मे नीचे भाग मे निवासरत हेाना और स्वयं को अपने पति के साथ उपर कमरे मे निवासरत रहना बतायी है , इससे प्रथम दृष्टया यह स्थिति भी प्रकट हेाती है कि प्रार्थिया अपने सास ससुर से अलग , अपने पति के साथ निवासरत थी , इसलिये प्रार्थिया द्वारा बतायी गयी घटना के संबंध मे आवेदिका /अभियुक्ता की स्थिति मुख्य आरोपी मनिंदरजीत सिंग से भिन्न होकर ,आवेदिका/अभियुक्त की उम्र , बीमारी की अवस्था एवं प्रकरण मे तथ्य एवं परिस्थितियो को देखते हुये, आवेदिका/अभियुक्ता को थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमाक 475/19 मे अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत हेाता है , अतएवं आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा **438 दं0प्र0सं0** का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है कि –

1. आवेदिका/अभियुक्त को थाना सिविल लाईन रायपुर के अपराध

क्रमांक–475/2019, धारा–489ए,323,506,34 भा0दं0वि0 में गिरफ्तार किये जाने की दशा में आवेदिका/अभियुक्त की ओर से थाना प्रभारी, सिविल लाईन, रायपुर की संतुष्टि योग्य क्रमशः **पच्चीस हजार रूपये–पच्चीस हजार रूपये** की एक सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवेदिका/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

2. आवेदिका/अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को तंग, परेशान, प्रलोभित नहीं करेगी, अन्वेषण में पुलिस को सहयोग करेगी, विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी।

आदेश की प्रतिलिपि पालनार्थ थाना प्रभारी, सिविल लाईन, रायपुर की ओर केस डायरी सहित भेजी जाये।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि के पूर्व अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
(श्रीमती लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ0ग0

<u>प्रतिलिपि</u> :–

थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन, रायपुर की ओर अपराध क्रमांक 475/2019 की केस डायरी सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

सही/–
(श्रीमती लीना अग्रवाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ0ग0